



पटना, जागरण ब्यूरो : राज्य सरकार ने उच्च वर्ग के पिछड़ों के विकास के लिए उच्च वर्ग आयोग गठित करने का फैसला किया है। गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। दूसरी बार बिहार की सत्ता संभालने के बाद विकास के रोडमैप की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सवर्णों में पिछड़े हुए लोगों के कल्याण के लिए आयोग गठित करने की घोषणा की थी। इस फैसले के साथ सरकार ने एक और ठोस वायदा पूरा कर दिया है। बैठक के बाद प्रधान सचिव कैबिनेट अफजल अमानुल्लाह ने बताया कि उच्च वर्ग के लिए गठित आयोग उच्च वर्ग के लोगों के शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करते हुए सवर्णों में कमजोर लोगों के उत्थान के लिए सरकार को अपनी सिफारिश करेगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अतिरिक्त तीन सदस्य होंगे, जिनका कार्यकाल तीन साल का होगा। सामान्य प्रशासन विभाग इसके गठन की आगे की कार्रवाई करेगा। कैबिनेट ने इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान (आईजीआईसी) के स्नातकोत्तर डिग्रीधारी चिकित्सकों की सेवा निवृत्ति उम्र सीमा 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने 22 फरवरी से बजट सत्र आहूत करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी। बजट सत्र 30 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 25 कार्य दिवस होंगे। पहले दिन 22 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा और 23 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण सदन में पेश किया जायेगा। 25 लल शेष पृष्ठ 23 पर सवर्णों के लिए आयोग